शक्ति की सीमा

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (भारतीय राजव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

31 जनवरी, 2022

सुप्रीम कोर्ट ने अभी हिदायत दी है कि सदन को संवैधानिक मानकों के भीतर काम करना चाहिए।

यह फैसला करते हुए कि पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा 12 भाजपा विधायकों पर लगाया गया एक साल का निलंबन अवैध और तर्कहीन था, सुप्रीम कोर्ट ने सदन में अव्यवस्थित आचरण से निपटने के लिए विधायिका की शक्ति की सीमा निर्धारित की है। इसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रभाव उस सत्र से आगे नहीं बढ़ सकता है जिसमें यह उत्पन्न हुआ था।

प्रिवी काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों के उदाहरणों का हवाला देते हुए, कोर्ट ने सदन की शक्ति को एक सदस्य को अनिवार्य रूप से रक्षात्मक या 'आत्म-सुरक्षात्मक' के रूप में निलंबित करने की शक्ति को पढ़ने की मांग की है ताकि उच्छृंखल आचरण इसकी कार्यवाही को प्रभावित न करे, लेकिन ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह दंडात्मक चरित्र ग्रहण न करें। इसलिए, सत्र की अवधि से परे निलंबन अवैध था।

इसे तर्कहीन समझा गया क्योंकि शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता सदन में व्यवस्था बहाल करने तक सीमित थी; तार्किक रूप से, सत्र के दिनों के बाद या बार-बार अव्यवस्थित आचरण के मामले में इसकी आवश्यकता नहीं थी ताकि निर्धारित कार्य पूरा किया जा सके। इसने एक साल के निलंबन को निष्कासन से भी बदतर दंडात्मक कार्रवाई करार दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का तर्क यह है कि यदि किसी सदस्य को सदन के एक प्रस्ताव द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, तो चुनाव आयोग छह महीने के भीतर उप-चुनाव कराने के लिए बाध्य होता है और सदस्य फिर से चुनाव की मांग कर सकता है। इसके विपरीत, साल भर के निलंबन का मतलब होगा कि निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि उप-चुनाव के माध्यम से कोई रिक्त स्थान नहीं भरा जा सकता।

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि आदेश बनाए रखने के लिए सदन द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की कोई सीमा नहीं थी और अदालत कार्रवाई की आनुपातिकता की जांच नहीं कर सकती थी। विधानसभा के नियम 53 ने अध्यक्ष को अव्यवस्थित आचरण के लिए एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति दी हैं। जिसमें सदस्य का निष्कासन करना जिसके पश्चात् उन्हें पूरे दिन के लिए सदन से हट जाना चाहिए, और यदि आचरण दोहराया जाता है, तो शेष सत्र के लिए।

हालांकि, सरकार ने जोर देकर कहा कि व्यवस्थित कामकाज सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा की अंतर्निहित शक्ति के तहत निलंबन लगाया गया था। फिर भी, अदालत ने फैसला सुनाया, इस तरह की शक्ति को सक्षम करने वाले नियम के अभाव में, सदन को एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण अपनाना पड़ा और इसमें समान-सत्र सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था।

सदन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की नियमितता की जाँच करने वाली न्यायपालिका पर संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत समय सीमा का उल्लेख करते हुए, तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने फैसला सुनाया कि वर्तमान कार्रवाई अवैध और तर्कहीन थी, न कि केवल प्रक्रिया की अनियमितता। सत्तारूढ़ विधायी निकायों के लिए एक और अनुस्मारक है कि उनका कामकाज संवैधानिक मानकों के अधीन है।

एक ऐसे युग में जब सरकारी पक्ष विपक्ष पर अड़ंगा लगाने का आरोप लगाता है, और विपक्ष आरोप लगाता है कि उसे चुप कराया जा रहा है, यह संतुष्टि की बात है कि सर्वोच्च न्यायपालिका विधायिका में बहुमत द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की सीमाओं से संबंधित प्रश्नों से जूझती है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों को न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखा गया है?

(क) अनुच्छेद 212

(ख) अनुच्छेद 215

(ग) अनुच्छेद 232

(घ) अनुच्छेद 221

Expected Question (Prelims Exams)

Q. In which Article of the Indian Constitution, the proceedings of the State Legislature have been kept out of the jurisdiction of the Court?

(a) Article 212

(b) Article 215

(c) Article 232

(d) Article 221

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'पिछले कुछ सालों मे केंद्र और राज्य विधायिका में सत्ता पक्ष के हितों को संसदीय नियमों के ऊपर रखने के कई मामले सामने आए हैं।' आपके अनुसार इसके क्या नुकसान हैं और इसका क्या समाधान है? (250 शब्द)

Q. 'In the last few years, there have been many cases of keeping the interests of the ruling party above parliamentary rules in the central and state legislatures.' According to you what are the disadvantages in it and what is the solution? (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।